मॉड्यूल 5: बाल कल्याण समिति

सत्र 1: बाल कल्याण समिति की परिभाषा, रूपरेखा तथा संरचना

अवधि: 18:19 मिनट

परिचय

बाल कल्याण समिति पर केन्द्रित बाल संरक्षण ई लर्निंग मॉड्यूल के पांचवें मॉड्यूल, में आप सभी का स्वागत है।

इस मॉड्यूल में आप बाल कल्याण समिति की शक्तियों, कार्यों तथा उत्तरदायित्व का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाल कल्याण समिति को सीडब्ल्यूसी भी कहा जाता है और यह देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कार्य करती है।

आप यह भी जान पाएंगे कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों के पुनर्वास के लिए ऐसे कौन से विभिन्न कदम हैं जिनके लिए समिति आदेश पारित कर सकती है।

उद्देश्य

मॉड्यूल के अंत तक आप:

- बाल कल्याण समिति की परिभाषा दे पाएंगे।
- बाल कल्याण समिति की संरचना तथा रूपरेखा बता पाएंगे।
- बाल कल्याण समिति की शक्तियों तथा कार्यों को बता पाएंगे।
- देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के सन्दर्भ में बाल कल्याण समिति की कार्य पद्धति का वर्णन कर पाएंगे।

सत्र 1: बाल कल्याण समिति की परिभाषा, रूपरेखा तथा संरचना

हम सत्र 1 में बाल कल्याण समिति की परिभाषा, रूपरेखा तथा संरचना को जानेंगे। आईए सबसे पहले यह समझें कि किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बाल कल्याण समिति क्या है?

परिभाषा

बाल कल्याण समिति एक वैधानिक निकाय है, जिसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 27 के तहत देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के संदर्भ में शक्तियों तथा ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए अधिसूचित और गठित किया गया है।

बाल कल्याण समिति: एक अवलोकन

आईए अब बाल कल्याण समिति की रूपरेखा, संरचना, शक्तियों तथा कार्यों के बारे में विस्तार से जानने से पहले इसका अवलोकन करें।

- किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में एक अथवा एक से अधिक बाल कल्याण समिति गठित करना अनिवार्य है जो देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के मामलों का समाधान करेंगी।
- प्रत्येक बाल कल्याण समिति में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को बाल कल्याण मुद्दों की अच्छी समझ होना और सदस्यों में कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है।

बाल कल्याण समिति की शक्तियाँ क्या हैं?

- आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि बाल कल्याण समिति को संयुक्त रूप से उतनी ही शक्ति है जितनी किसी महानगर (मेट्रोपोलिटिन) मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट) को है।

आईए अब बाल कल्याण समिति के गठन के उद्देश्य को समझें

- बाल कल्याण समिति का उद्देश्य बच्चे के सर्वोत्तम हित को निर्धारित करना है तथा बच्चे को एक सुरक्षित घर और वातावरण उपलब्ध कराना है जो उसके जैविक माता–पिता या दत्तक माता–पिता या पालक देखरेख या किसी संस्थान द्वारा प्राप्त हो।

बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे को कौन ला सकता है?

- कोई भी पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, चाईल्ड लाईन के कर्मचारी, कोई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता, जिम्मेदार नागरिक द्वारा बच्चे को अ थवा बच्चा द्वारा स्वयं को बाल कल्याण समिति (या आवश्यक होने पर किसी सदस्य) के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

जांच के दौरान बाल कल्याण समिति बच्चे को कहां भेज देती है?

- मामले की जांच के दौरान बच्चे को बाल कल्याण समिति बाल गृह/ उपयुक्त सुविधा/ उपयुक्त व्यक्ति के पास भेज सकती है यदि मौजूदा स्थिति बच्चे के लिए असुरक्षित है।
- बाल कल्याण समिति बच्चे की पृष्ठभूमि जानने तथा उसकी समस्या को समझने के लिए बच्चे से मिलती है तथा उससे पूछताछ करती है।
- परिवीक्षा अधिकारी, जो मामले का प्रभारी है उसे अपनी रिपोर्ट भी नियमित रूप से देते रहनी चाहिए।
- बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करने के चार माह के अन्दर अनिवार्य रूप से अन्तिम आदेश पारित किया जाना चाहिए।

बाल कल्याण समिति स्थापित करने के लिए वित्तीय सहयोग

बाल संरक्षण सेवाएं (CPS) योजना जो भारत सरकार की केन्द्रीय स्तर पर वित्तापोषित योजना है, बाल कल्याण समिति की स्थापना के लिए दो तरह का अनुदान देती है:

- 16,62,500 रुपये का निर्माण और रखरखाव अनुदान
- 11,82,500 रुपये का रखरखाव अनुदान

बाल कल्याण समिति को स्थापित करने में आने वाले खर्च का वहन केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 35:65 के अनुपात में किया जाता है, जबकि जम्मू और कश्मीर में तथा नार्थ–ईस्ट में यह अनुपात 90:10 का है।

रूपरेखा और संरचना (धारा 27, किशोर न्याय अधिनियम, 2015)

आईए अब हम बाल कल्याण समिति की रूपरेखा और संरचना जान लें। जैसा कि पहले भी कहा गया है,

- राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक या अधिक (आवश्यकतानुसार) बाल कल्याण समिति की अधिसूचना जारी करेगी।
- बाल कल्याण समिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु योग्य समझे जाने वाले पांच व्यक्ति होंगे जिनमें से एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे।
- इन सदस्यों में कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है तथा एक सदस्य बाल कल्याण के मुद्दों में विशेषज्ञ होना चाहिए।
- उपयुक्त संचालन के लिए समिति को सचिव तथा साचिविक सहायता ज़िला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

आईए इस बात को समझें कि योग्यता के आधार पर कौन इसका सदस्य बन सकता है तथा उसका कार्यकाल क्या होगा।

- समिति के एक सदस्य ऐसे हों जो स्वास्थ्य, शिक्षा या बच्चों की कल्याणकारी गतिविधियों में कम से कम सात वर्षों से सक्रिय रूप से शामिल हों, अथवा
- एक कार्यरत पेशेवर हों जो बाल मनोविज्ञान या मनोरोग या कानून या समाज कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास में डिग्री धारक हों।
- सदस्यों को नियुक्त करने की अवधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए।
- किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 27 (7) में निर्धारित कारणों से राज्य सरकार की छानबीन के बाद समिति के किसी भी सदस्य को समिति से निष्कासित किया जा सकता है।
- समिति एक न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा इसकी प्रदत्त शक्तियाँ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या मामले के अनुसार प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष होंगे।
- ज़िलाधिकारीको प्रत्येक तिमाही पर समिति के कार्यों की समीक्षा करनी होगी।
- बाल कल्याण समिति के शिकायत निवारक अधिकारी ज़िलाज़िलाधिकारीहोंगे।

आईए अब बाल कल्याण समिति की कार्यपद्धति पर विचार करें। क्या आप अपने अनुभवों के आधार पर इसके कार्य करने के मुख्य पक्षों को याद कर पा रहे हैं?

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 28 के तहत बाल कल्याण समिति की कार्यपद्धति

- समिति प्रत्येक माह में कम से कम 20 दिन बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कार्य के दौरान निर्धारित नियमों एवं कार्य पद्धति का पालन करेगी।
- समिति द्वारा किसी विद्यमान बाल देखरेख संस्थान के कार्यों तथा बच्चों की स्थिति का जायजा लेने के लिए किया गया भ्रमण, समिति की एक बैठक के रूप में माना जाएगा।

क्या इसका यह तात्पर्य है कि यदि बाल कल्याण समिति अपने कार्यालय में नहीं है तो किसी बच्चे को उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता?

- जब समिति की बैठक नहीं चल रही हो तो देखरेख और संरक्षण की ज़रूरतमंद वाले बच्चे को समिति के किसी एक सदस्य के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि उस बच्चे को बाल गृह अथवा उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के पास रखा जा सके।

आप जानते हैं कि किसी भी समूह के सदस्यों के विचारों में भिन्नता हो सकती है।

- समिति द्वारा कोई निर्णय लेते समय सदस्यों के विचारों में अंतर होने की स्थिति में बहुमत मान्य होगा, किन्तु जब बहुमत न हो तब अध्यक्ष का विचार मान्य होगा।
- समिति किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति में कार्य कर सकती है। प्रक्रिया के दौरान किसी सदस्य की अनुपस्थिति में लिया गया कोई भी आदेश रद्द नहीं होगा, बशर्ते कि अंतिम फैसले के समय समिति के कम से कम तीन सदस्य उपस्थित हों।

बाल कल्याण समिति की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं?

आईए अब, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत, धारा 29 और 30 में प्रस्तावित बाल कल्याण समिति की शक्तियों और कार्यों पर चर्चा करें

बाल कल्याण समिति की शक्तियाँ

- समिति के पास देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों में निर्णय लेने तथा इसके साथ ही साथ उनकी बुनियादी जरूरतों और संरक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार है।
- किसी भी क्षेत्र हेतु गठित बाल कल्याण समिति के पास, चाहे उस क्षेत्र में कोई भी कानून लागू हो, देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के मामलों के संबंध में इस अधिनियम के तहत सभी प्रकार की कार्यवाही करने की शक्ति होगी।
- पालक देखरेख में बच्चे के स्थापन हेतु निर्देशित करने का अधिकार
- क्या आप जानते हैं कि बाल कल्याण समिति के पास यह भी शक्ति है कि वह देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चे को अन्य बाल कल्याण समिति, जो उसके राज्य या घर के नजदीक हो, में स्थानान्तरित कर सकती है ताकि उसके मामले का निस्तारण हो सके और बच्चा पुनः अपने परिवार तथा समुदाय से मिल सके।

अब आप बाल कल्याण समिति की शक्तियों और अधिकारों को जान गए हैं। समिति के बहुत सारे अन्य कार्य भी हैं। आईए इन कार्यों के बारे में जानें।

कार्य

देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के सन्दर्भ में बाल कल्याण समिति के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैः

- समिति के समक्ष प्रस्तुत बच्चों का संज्ञान लेना और उन्हें प्राप्त करना।
- हर उन मुद्दों की जाँच करना जिससे अधिनियम के तहत आने वाले बच्चों की सुरक्षा या खुशहाली प्रभावित होती हो।
- बाल कल्याण अधिकारियों या परिवीक्षा अधिकारियों या ज़िला बाल संरक्षण इकाईयों या गैर सरकारी संस्थाओं को सामाजिक जाँच करने तथा समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना।
- देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति (फिट पर्सन) घोषित करने के संबंध में जांच पड़ताल करना।

बच्चे को स्थापन से संबंधित बहुत सारे कार्य बाल कल्याण समिति करती है जैसे किः

- पालक देखभाल में बच्चे के स्थापन हेतु निर्देश देना।
- देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार देखभाल, संरक्षण, उपयुक्त पुनर्वास या पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना तथा माता–पिता या अभिभावकों या उपयुक्त व्यक्तियों (फिट पर्सन) या बाल गृह या उपयुक्त सुविधा को आवश्यक निर्देश देना।
- संस्थागत सहयोग की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे की उम्र, लिंग, निःशक्तता अक्षमता और आवश्यकता के अनुसार संस्था की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए उपयुक्त पंजीकृत संस्था का चयन करना।
  (आप जानते हैं कि बाल कल्याण समिति, यदि संभव हो तो, बच्चे को परिवार में पुनर्स्थापना को हमेश प्राथमिकता देती है)
- परित्यक्त या गुमशुदा बच्चों से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उनके परिवार से मिलवाने का हर संभव प्रयास सुनिश्चित करना
- प्रायोजन
- अतिरिक्त सहायता के साथ परिवार में रखने हेतु निदेर्शित करना

आईए बाल कल्याण समिति के और अन्य कार्यों के बारे में जानना जारी रखें

- उपयुक्त जांच के बाद अनाथ, परित्यक्त और त्यागे हुए बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करना।
- पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस द्वारा लैंगिक दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चे के पुनर्वासन के लिए कार्यवाही करना, जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की ज़रूरतमंद बच्चे के रूप में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो।
- बोर्ड (JJB) द्वारा संदर्भित, देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के संबंध में कार्यवाही करना।

अन्य कार्य एवं उत्तरदायित्व इसके अलावा बाल कल्याण समिति के अनेक कार्य एवं उत्तरदायित्व हैं जिसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिएः

- देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों की आवासीय संस्थानों का प्रत्येक माह कम से कम दो बार निरीक्षण करना तथा ज़िला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार को इन संस्थानों की सेवाओं की गुणवत्ता में बेहतरी लाने के लिए सिफारिशें भेजना।
- अभिभावकों द्वारा अभ्यर्पण विलेख के क्रियान्वयन को प्रमाणित करना।

आप सभी जानते हैं कि अधिकांश माता–पिता के लिए अपने बच्चे का परित्याग, दत्तक–ग्रहण के लिए, करना एक कठिन कार्य होगा जबकि बच्चे की देखरेख और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक माता–पिता की है। अतएव परित्याग करने के अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

- मामलों का स्वयं से पहल करके संज्ञान लेना और देखरेख तथा संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचना जिन्हें समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हो, बशर्ते कि यह निर्णय कम से कम समिति के तीन सदस्यों ने लिया हो।
- ज़िला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य सरकार के सहयोग से बच्चों के मामलों और संरक्षण से संबन्धित विभागों जैसे पुलिस, श्रम विभाग आदि के साथ समन्वय स्थापित करना।
- किसी बाल देखरेख संस्थान में आवासित बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर समिति जांच करेगी और पुलिस या ज़िला बाल संरक्षण इकाई या श्रम विभाग या चाईल्ड लाईन सेवाओं को मामले में आवश्यकतानुसार निर्देश देगी।
- बच्चों के लिए उपयुक्त कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना।

यह इस सत्र का अन्त है। अब हम विस्तार से बाल कल्याण समिति, उसकी रूपरेखा, संरचना, शक्तियों तथा कार्यों के बारे में जानते हैं।